THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/357

दिनांक : 29.07.2026

को,

Plexconcil के सभी सदस्य/ COA सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: साल 2027-2028 के लिए रेवेन्यू से जुड़े प्री-बजट प्रपोज़ल के लिए इनपुट के बारे में।

भारत सरकार के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने**यूनियन बजट 2027-28 के लिए प्री-बजट एक्सरसाइजडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लेवी और प्रोसेस को आसान बनाने के उपायों से**जुड़े**रेवेन्यू से जुड़े**

प्री-बजट प्रपोज़लफाइनेंस मिनिस्ट्रीको आगे की सिफारिश के लिएमंगाए हैं। इस बारे में, मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे कॉमर्स डिपार्टमेंट के विचार के लिए तय फॉर्मेट में अपने सुझाव/प्रपोज़ल जमा करें|

फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड करें:https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260728062738.docxवे

ये पक्का करें:-

1. प्रपोज़ल हर तरह से पूरे होने चाहिए और हर चीज़ के लिए ज़रूरी **HS Codes के साथ सही तरह से कैटेगराइज़्ड होने चाहिए।**
2. हर प्रपोज़ल के सपोर्ट में **300 शब्दों तक ही सही** होना चाहिए । अगर ज़रूरत हो, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स/एनेक्सर भी अटैच किए जा सकते हैं।
3. **खास चीज़ों पर इनडायरेक्ट टैक्स/कस्टम ड्यूटी** में बदलाव से जुड़े प्रपोज़ल के लिए , यह जानकारी दी जानी चाहिए:
    - सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण (एचएस कोड)
    - मूल्य रुझान
    - करों का मौजूदा बोझ
    - घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति
    - आयात और निर्यात डेटा
    - प्रस्तावित बदलावों का इंडस्ट्री पर संभावित असर

4. **GST से जुड़े प्रपोज़ल ज़रूरी नहीं हैं** और उन्हें सबमिट नहीं किया जाना चाहिए।
5. **डायरेक्ट टैक्स** से जुड़े प्रपोज़ल के लिए पूरी जानकारी और वजह बताई जानी चाहिए। यह भी साफ़ तौर पर बताया जाना चाहिए कि क्या प्रपोज़ल के लिए डायरेक्ट टैक्स कानूनों में किसी कानूनी बदलाव की ज़रूरत है।
6. जो मुद्दे सालों से बार-बार उठाए गए हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है, उन्हें दोबारा प्रपोज़ नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, जो सदस्य **बार-बार प्रपोज़ल जमा कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पिछले तीन सालों** में जमा किए गए प्रपोज़ल भी दें , जिसमें उनकी प्रायोरिटी बताई गई हो। नए

प्रपोज़ल में साफ़-साफ़ लिखा होना चाहिए कि वे **"हाई प्रायोरिटी"** के हैं या **"प्रायोरिटी" के** । सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रपोज़ल **03.08.2026 तक**

PLEXCONCIL को भेज दें , ताकि काउंसिल तय समय में डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स को इंडस्ट्री की सलाह इकट्ठा करके जमा कर सके। प्रपोज़ल **वर्ड में ईमेल से** bharti@plexconcil.org **;** shilpa@plexconcil.org पर भेजे जा सकते हैं **।** हम यूनियन बजट 2027–28 के ज़रिए भारत के प्लास्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस को मज़बूत करने के लिए आपके कीमती सुझावों का इंतज़ार कर रहे हैं।

नमस्कार,

भारती परावे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल